

प्र.सं. 11/2022 तेजसिंह बनाम देवीसिंह

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.10.2022	<p>पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 रा.का.अ. का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की खाता संख्या नई 264 पुरानी 213 की कुल आराजियात किता 39 रकबा 2.7750 हैक्टर ग्राम सेनवाड़ा में स्थित है, जिसमें वादी का 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 6/32 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 6/32 हिस्सा निहित है। इसी प्रकार खाता संख्या 115 नई एवं 103 पुरानी की कुल आराजियात किता 10 रकबा 1.6950 हैक्टर में वादी का मुताबिक हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अंकित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 का 6/384 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 7 से 12 का 6/384 हिस्सा निहित है एवं इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चले आ रहे हैं, परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 12 आये दिन वादी को परेशान करते हैं एवं लड़ाई-झगड़ा करते हैं। अतः पक्षकारों मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।</p> <p>अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 07.04.2021 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, तत्पश्चात् प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 06.01.2022 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्तगण ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16.02.2022 को प्रस्तुत की।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।</p> <p>विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण वास्ते तामिल दिनांक 10.03.2021 को नियत किया तथा बाद तामिल प्रकरण दिनांक 07.04.2021 को जवाब में रखा गया, लेकिन उक्त दिनांक को कोविड-19 के तहत सभी प्रकरणों में एक जैसी पेशी दी गयी, लेकिन बाद में अपीलान्तगण को पता चला कि उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी गयी है, जिस पर अपीलान्तगण ने प्रकरण को दोतरफा करने हेतु दिनांक 30.09.2021 को आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन होने के बावजूद प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री</p>	



प्र.सं. 11/2022 तेजसिंह बनाम देवीसिंह

पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पॉन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्त खारिज करने की प्रार्थना की एवं अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर आर. बी.जे. (28) 2021 पेज 206 प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन किया तथा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 10.03.2021 अनुसार प्रकरण जवाब हेतु दिनांक 07.04.2021 को नियत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जवाब लिये प्रतिवादीगण की अनुपस्थिति में वादी का वाद एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री कर दिया, जिस पर अपीलान्तगण द्वारा दिनांक 30.09.2021 को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र के विचाराधीन रहते हुए दिनांक 06.01.2022 को प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी कर दी, जो प्राकृतिक न्याय के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। इस संबंध में जो न्यायिक नजीर अभिभाषक रेस्पॉन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उसके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण लागू नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 06.01.2022 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 19.12.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर